भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3475

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा

3475. श्री महेश कश्यपः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों की "उच्च शिक्षा" और विकास से संबंधित विभिन्न उल्लेखनीय क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा और विकास से संबंधित अन्य उल्लेखनीय क्रिया-कलाप भी संचालित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करता है:

i. एससी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस);
ii. एससी छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस);
iii. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी);
iv. अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)

योजनावार विवरण निम्नानुसार है:

(i) **एससी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस):** यह सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन कक्षाओं (कक्षा 11 से उच्च अध्ययन तक) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, तथा सबसे गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान देना है।

(ii) **एससी छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस):** इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत देश भर में सूचीबद्ध 266 उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में उच्च अध्ययन के लिए पूर्ण वितीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,800 नए स्लॉट उपलब्ध हैं।

(iii) **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी):** भारत में विभिन्न विषयों में पीएच.डी की डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष कुल 2,000 नए स्लॉट उपलब्ध हैं।

(iv) **अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस):** प्रत्येक चयन वर्ष में विदेश में अध्ययन के लिए 125 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 115, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए 06 तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के लिए 04 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। 30% स्लॉट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य योजनाएं, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों सहित सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए खुली हैं, निम्नानुसार हैं:

क. विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)

ख. एआईसीटीई – यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप तथा हॉलिस्टिक एकेडमिक स्किल वेंचर इनिशिएटिव स्कीम (यशस्वी) (डिग्री और डिप्लोमा)

ग. बालक और बालिकाओं हेतु एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)

घ. बालक और बालिकाओं हेतु एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)

ड. बालक और बालिकाओं हेतु एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति योजना

च. बालक और बालिकाओं हेतु एआईसीटीई डॉक्टरल फेलोशिप (एडीएफ)

छ. एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (पीडीएफ)

ज. एआईसीटीई - सामाजिक अनुभव को बढ़ाने वाली कैम्पस आवास और सुविधाएं योजना (कैफ़ेस)

झ. विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप

ञ. सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फ़ेलोशिप

ट. स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

******